

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सख्या-3/नि0स0-08/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

डा0 अर्चना कटियार, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के द्वारा दिनांक 23.07.2025 से 06.08.2025 तक कुल-15(पन्द्रह) दिनों का उपभोगित अवकाश को वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1645(25), दिनांक-13.09.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

02 तदालोक में निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पत्रांक-2725, दिनांक-12.08.2025 से निर्गत आदेश विलोपित समझा जाए।

03. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापाक 3/नि0स0-08/2026-

269(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 23/3/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 अर्चना कटियार, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि. प्रशाखा पदाधिकारी-2,7 एव 18ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी